भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2936
दिनांक 18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम
2936 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री केसरीदेवसिंह झालाः
श्री मस्तान राव यादव बीडाः
श्री सुरेंद्र सिंह नागरः
श्री दीपक प्रकाशः
श्री सुभाष बरालाः
श्री नरहरी अमीनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) के अंतर्गत खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) और क्लासिकल स्वाइन फीवर (सीएसएफ) के लिए प्राप्त टीकाकरण कवरेज का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के प्रकोपों में आई कमी के संबंध में मंत्रालय का आकलन क्या है;

(ग) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान एलएचडीसीपी के अंतर्गत आवंटित और उपयोग निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान पशुधन-पशुचिकित्सक अनुपात अनुशंसित मानदंड को पूरा करता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पशु चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत खुरपका और मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (CSF) के लिए प्राप्त टीकाकरण कवरेज का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) FMD के संदिग्ध प्रकोपों के नमूनों की पुष्टि राष्ट्रीय खुरपका और मुंहपका रोग संस्थान (ICAR-NIFMD) सहित 32 चिह्नित प्रयोगशालाओं द्वारा की जाती है। इसी प्रकार, ब्रुसेलोसिस के प्रकोपों के संबंध में, राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान (ICAR-NIVEDI) द्वारा नमूनों का परीक्षण और प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की जाती है। वर्तमान में, FMD के प्रकोपों की संख्या वर्ष 2019 में 132 से घटकर वर्ष 2025 में 32 रह गई है। इसी प्रकार, ब्रुसेलोसिस और पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) के प्रकोप भी क्रमश: वर्ष 2019 में 22 से घटकर वर्ष 2025 में 6 और वर्ष 2019 में 98 से घटकर वर्ष 2025 में 29 रह गए हैं।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान LHDCP के अंतर्गत जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पशुपालन राज्य का विषय है और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, जिसमें कर्मचारियों की नियुक्ति भी शामिल है, संबंधित राज्य द्वारा भौगोलिक स्थिति, रोग महामारी विज्ञान, पशुधन प्रोफाइल आदि जैसे मापदंडों के आधार पर अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा पेशेवरों के रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक पशु चिकित्सकों की संख्या 92459 है। पिछली संगणना (20वीं पशुधन संगणना) के अनुसार देश में पशुधन की आबादी लगभग 53.7 करोड़ है। इसलिए, पशुधन और पशु चिकित्सक का अनुपात लगभग 5808:1 है।

राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA) की वर्ष 1976 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक 5000 पशुओं के लिए एक पशु चिकित्सक/संस्थान की आवश्यकता है।

पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने और कमियों को दूर करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य को सहायता प्रदान करने हेतु उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

i. भारत में पशु चिकित्सा अवसंरचना के न्यूनतम मानकों संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन्हें अपनाने और आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ भेजा गया है।

ii. LHDCP के पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (ESVHD-MVU) कार्यक्रम के अंतर्गत, MVU के जमीनी स्तर पर संचालन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवर्ती वित्तीय सहायता साझा आधार पर प्रदान की जाती है। अब तक, देश के 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (MVU) प्रचालनरत बनाई गई हैं। प्रत्येक MVU में एक पशु चिकित्सक, एक पैरा-पशु चिकित्सक और एक चालक-सह-परिचारक का प्रावधान है।

iii. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अनुसूची के साथ पठित धारा 2(ङ) और धारा 15 के अनुसार 85 वेटरनरी कॉलेजों को मान्यता दी गई है। कुल प्रवेश क्षमता बढ़कर 9000 वेटरनरी डॉक्टरों हो गई है।

अनुबंध-I

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25) के दौरान खुरपका और मुंहपका रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (PPR) और क्लासिकल स्वाइन ज्वर (CSF) के लिए प्राप्त टीकाकरण कवरेज का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	FMD	Brucellosis	CSF	PPR
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21635	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	25970677	1409200	93856	35719342
3.	अरुणाचल प्रदेश	515199	60	25131	9718
4.	असम	7295726	44518	411722	1018665
5.	बिहार	35712963	759371	146213	17602228
6.	चंडीगढ़	37862	3449	-	-
7.	छत्तीसगढ	20898413	211159	252886	4853454
8.	दिल्ली	161568	1737	-	-
9.	गोवा	105314	196	20	77
10.	गुजरात	38154023	547598	-	7471695
11.	हरियाणा	9486060	150144	32094	103469
12.	हिमाचल प्रदेश	3920236	49659	-	963809
13.	जम्मू और कश्मीर	11609562	74418	-	1786723
14.	झारखंड	6310890	43969	374146	2904623
15.	कर्नाटक	17797457	471649	74160	2669408
16.	केरल	1261085	15267	9316	91875
17.	लद्दाख	428579	980	-	-
18.	लक्षद्वीप	83	-	-	-
19.	मध्य प्रदेश	61771677	199926	60	3403794
20.	महाराष्ट्र	52337000	677413	97654	15895383
21.	मणिपुर	264797	11	34031	11388
22.	मेघालय	452151	196	5990	1134
23.	मिजोरम	18264	-	31337	2958
24.	नागालैंड	115751	1	121495	21991
25.	ओडिशा	15803615	305628	86339	4577506
26.	पुदुचेरी	138611	81	-	70
27.	पंजाब	17844019	186922	3722	191101
28.	राजस्थान	28423356	1242799	48794	10384736
29.	सिक्किम	43993	65	475	15214
30.	तमिलनाडु	25691105	1270064	59465	13803168
31.	तेलंगाना	13379414	7591	76655	11336307
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	21679	-	-	-
33.	त्रिपुरा	589761	1	37	924
34.	उत्तर प्रदेश	46008257	437788	3077	110196
35.	उत्तराखंड	7168404	75681	10451	1177831
36.	पश्चिम बंगाल	33577077	331696	174799	4822180
	कुल	483336263	8519237	2173925	140950967

अनुबंध-II

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25) के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जारी/उपयोग की गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	1376.05	1376.05	8534.26	8534.26	7605.85	7605.85
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	621.28	621.28	654.25	654.25
3	असम	558.47	558.47	2299.69	2299.69	4696.50	4696.50
4	बिहार	895.66	895.66	266.48	266.48	5481.63	5481.63
5	छत्तीसगढ़	158.80	158.80	621.51	621.51	3488.98	3488.98
6	गोवा	-	-	80.15	80.15	85.51	85.51
7	गुजरात	-	-	1087.97	1087.97	5243.59	5243.59
8	हरियाणा	2754.15	2754.15	1352.28	1352.28	2734.67	2734.67
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	64.75	64.75	785.75	785.75
10	जम्मू और कश्मीर	240.00	240.00	1885.42	1885.42	2036.97	2036.97
11	झारखंड	-	-	-	-	460.00	460.00
12	कर्नाटक	998.19	998.19	7066.94	7066.94	6157.62	6157.62
13	केरल	86.97	86.97	596.51	596.51	1224.04	1224.04
14	मध्य प्रदेश	352.73	352.73	4889.02	4889.02	7613.47	7613.47
15	महाराष्ट्र	-	-	7232.82	7232.82	6464.19	6464.19
16	मणिपुर	314.01	314.01	271.32	271.32	464.39	464.39
17	मेघालय	-	-	129.49	129.49	707.03	707.03
18	मिजोरम	116.66	116.66	262.78	262.78	359.15	359.15
19	नागालैंड	18.68	18.68	115.48	115.48	126.51	126.51
20	ओडिशा	-	-	318.10	318.10	1240.09	1240.09
21	पंजाब	-	-	-	-	397.93	397.93
22	राजस्थान	-	-	635.11	635.11	5968.58	5968.58
23	सिक्किम	232.57	232.57	251.07	251.07	312.61	312.61
24	तमिलनाडु	-	-	644.51	644.51	2259.60	2259.60
25	तेलंगाना	-	-	-	-	400.00	400.00
26	त्रिपुरा	-	-	59.76	59.76	573.37	573.37
27	उत्तर प्रदेश	7339.84	7339.84	19259.84	19259.84	15076.02	15076.02
28	उत्तराखंड	535.10	535.10	1998.68	1998.68	1957.16	1957.16
29	पश्चिम बंगाल	670.00	670.00	3639.00	3639.00	4034.63	4034.63
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	80.00	80.00	-	-	84.50	84.50
31	चंडीगढ़	-	-	2.77	2.77	7.82	7.82
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	-	-	-	-	-
33	दिल्ली	-	-	3.76	3.76	9.05	9.05
34	लद्दाख	-	-	60.27	60.27	245.16	245.16

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2022-23		वर्ष 2023-24		वर्ष 2024-25	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
35	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
36	पुदुचेरी	48.00	48.00	11.48	11.48	48.52	48.52
	कुल	**16775.88**	**16775.88**	**64262.50**	**64262.50**	**89005.14**	**89005.14**

(नोट: मदर सेंक्शन/आबंटन (assignment)/राशि का जारी किया जाना पहली किस्त के उपयोग पर निर्भर करता है)